<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>06.03.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी, जालसाजी और खुद को ईडी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर धन उगाही करने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक ठग रविराज कुमार को गिरफ्तार किया है। उसे 05.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसे 5 दिनों की ईडी हिरासत में दे दिया है।

ईडी ने गुरुग्राम के सेक्टर-10 पुलिस स्टेशन द्वारा रविराज कुमार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि रविराज कुमार ने खुद को ईडी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर और गुरुग्राम के एक बिल्डर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठे हैं। जांच के दौरान ईडी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि जैसे कई डिजिटल और दस्तावेजी सबूत भी एकत्र किए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी रविराज ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कई सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और कई लोगों को धोखा दिया। अब तक उसके कई बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि उसने इन तरीकों से अपने एक बैंक खाते में लगभग 80 लाख रुपये जमा किए हैं।

इसके अलावा, जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी रविराज आदतन अपराधी है और कई सालों से पैसे की उगाही में शामिल है। एलईए ने इस मामले में पहले भी रविराज को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है।